छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्र. 706 /ब–4 /2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12/03/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषय :– कोषालयों/उपकोषालयों में वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट से संबंधित देयक स्वीकार करने के संबंध में।

———00———

राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के देयकों को पारित करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

(1) वर्ष 2023–24 से संबंधित समस्त देयक कोषालयों/उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि **22 मार्च, 2024** निर्धारित की जाती है।

(2) अंतिम तिथि के पश्चात वित्त विभाग की अनुमति से **दिनांक 28.03.2024** तक देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) कोषालय/उपकोषालय में जमा किए जा सकेंगें।

(3) 22 मार्च 2024 तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा।

(4) वित्त विभाग द्वारा 22 मार्च, 2024 के पश्चात यदि कोई सहमति/स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(5) भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि) से संबंधित देयकों एवं माननीय विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(6) राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय/निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों/ माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(7) समस्त कोषालय अधिकारी उक्त तिथि तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण **दिनांक 31 मार्च 2024** तक किया जाना सुनिश्चित करें।

(8) समस्त कोषालय अधिकारी दिनांक 22 मार्च 2024 को प्राप्त अंतिम देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) का प्रकार, बीटीआर क्रमांक तथा देयक राशि वित्त विभाग को मेल आईडी -**financedept.cg@gov.in** पर उक्त दिवस के कार्यालयीन समय के तुरंत बाद अवगत करायेगें।

12/3.

निरंतर–.2

(9) दिनांक 26 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा जारी किए गए धनादेशों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार दिनांक **31 मार्च 2024 को संध्या 5.30 बजे** तक अनिवार्यतः वित्त विभाग को मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाए।

(10) माननीय मुख्यमंत्रीजी/ माननीय मंत्री गण/एवं माननीय विधायकों के स्वेच्छानुदान मद से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा।

संलग्नः—01 प्रपत्र

12/3

(शारदा वर्मा)
सचिव सह संचालक बजट
वित्त विभाग

क्र. 707 /ब—4 /2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12/03/2024

प्रतिलिपि—

1. राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, छत्तीसगढ़
6. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्री /राज्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय
10. सचिव, वित्त के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय
11. संचालक बजट, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
12. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव के निज सहायक, मंत्रालय
13. अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
14. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख, मंत्रालय
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय
16. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन
17. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर अंबिकापुर एवं दुर्ग।
18. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय, को वित्त विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

12/03/2024

(निखिल कुमार अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग